

कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला-सिवनी, म.प्र.

वर्ष 2020-21 के लिये अनुज्ञप्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के वैकल्पिक संचालन व्यवस्था
विज्ञप्ति

सर्वसाधारण की जानकारी तथा देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक बी-06/2020/2/पॉच दिनांक 09.06.2020 एवं आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के पत्र क्रमांक 7-ठेका/2020-21/51 दिनांक 10.06.2020 में दिये गये निर्देशानुसार जिला-सिवनी में आबकारी राजस्व सुरक्षित रखने के लिये मदिरा दुकानों के संचालन के तात्कालिक विकल्प के रूप में आंशिक अवधि हेतु निम्नानुसार नवीन व्यवस्था के तहत मदिरा दुकानों की अनुज्ञप्तियों के निरस्त होने तथा उनकी वर्ष 2020-21 की शेष अवधि हेतु पुर्ननिष्पादन के बीच लगाने वाले समयावधि के लिये राजस्व हित में मदिरा समूहों का निष्पादन किया जाना है।

निष्पादन होने वाले समूहों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	समूह का नाम	एक दिवस का आरक्षित मूल्य	अर्नेष्टमनी की राशि	आवेदन शुल्क की राशि
1	बण्डोल समूह	382959	382959	10000
2	बरघाट समूह	202973	202973	10000
3	खवासा समूह	139262	139262	10000
4	उगली समूह	88590	88590	10000

टेण्डर निष्पादन कार्यक्रम

1	मदिरा दुकानों के टेण्डर प्रपत्र विक्रय का स्थान तिथि एवं समय	जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय सिवनी से दिनांक 12 जून 2020 को कार्यालयीन समय में तथा 13 जून 2020 को दोपहर 14.30 बजे तक
2	भरे हुए टेण्डर प्रपत्र जमा करने का स्थान तिथि एवं समय	जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय सिवनी में दिनांक 13 जून 2020 को दोपहर 15.00 बजे तक
3	टेण्डर प्रपत्र को खोलकर निष्पादन की कार्यवाही का स्थान तिथि एवं समय	कलेक्टोरेट सभाकक्ष सिवनी में दिनांक 13 जून 2020 दिन शुक्रवार को सायं 16.00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक

टेण्डर के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों/एकल समूहों के संबंध में विस्तृत जानकारी (सेल पेपर), टेण्डर प्रपत्र कय करने, भरने तथा जमा करने की प्रक्रिया, आदि की जानकारी, कार्यालयीन समय में जिला आबकारी कार्यालय सिवनी से प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त जानकारी जिला कलेक्टर कार्यालय तथा जिला आबकारी कार्यालय सिवनी के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी तथा वेबसाईड <https://seoni.nic.in> से भी प्राप्त की जा सकती है।


कलेक्टर
जिला-सिवनी, म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक/आब./ठेका/2020/1141 /
प्रतिलिपि :-

सिवनी, दिनांक 11 जून 2020

1. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन वाणिज्यिक कर विभाग वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त जनसम्पर्क, भोपाल म.प्र. की ओर विज्ञप्ति की 10 प्रतियाँ भेजकर निवेदन है कि उक्त सामाचार राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने का कष्ट करे।
4. अपर आबकारी आयुक्त राज्य स्तरीय उडनदस्ता भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता—(समस्त) म.प्र.
6. सहायक आयुक्त, आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी—(समस्त) म.प्र.
7. जिला जनसम्पर्क अधिकारी सिवनी की ओर सूचनार्थ। कृपया उपरोक्त समाचार, समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करे।
की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


कलेक्टर
जिला-सिवनी, म.प्र.